

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 138 / 2024 / सरफैसी

मोती लाल ओसवाल होम फाईनेन्स लि.(पूर्व में एस्पायर होम फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालय: मोती लाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी, मुम्बई-400025, शाखा कार्यालय: 401-402, चतुर्थ तल, के. जे. सिटी टॉवर, प्लॉट नं-ई-2, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001, राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. गजेन्द्र सालवी पिता श्री गोपीलाल सालवी पता- 61/62 श्रीराम कॉलोनी प्रतापनगर नियर पावर हाउस उदयपुर राजस्थान-313001 अन्य पता- मैसर्स होलीडे जंक्शन, पंचवटी, उदयपुर 313001 एवं पता- प्लॉट न. 103-ए, श्रीनाथ नगर, ग्राम मोडी, ग्राम पंचायत मोडी, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर राजस्थान 313001
2. मुकेश सालवी पता-61/62 श्रीराम कॉलोनी प्रतापनगर नियर पावर हाउस उदयपुर राजस्थान-313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित: श्री आशीष दोवडिया अधिवक्ता प्रार्थी



आदेश

दिनांक 21/10/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 15,30,619/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (गजेन्द्र सालवी पिता श्री गोपीलाल सालवी की अचल सम्पति जो कि एक आवासीय भूखण्ड संख्या 103-ए, श्रीनाथ नगर, आवासीय योजना ग्राम मोडी, ग्राम पंचायत मोडी, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 13500 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। उक्त भूखण्डों की चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैं:- पूर्व में-रोड 30 फीट चौड़ी, पश्चिम में-अन्य जमीन, उत्तर में-भूखण्ड सं. 63 से 70, दक्षिण में-अन्य जमीन) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असाफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से

**जिला कलेक्टर
उदयपुर**

नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 21.03.2024 तक 14,95,395/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 15,30,619/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 21.03.2024 तक 14,95,395/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (गजेन्द्र सालवी पिता श्री गोपीलाल सालवी की अचल सम्पत्ति जो कि एक आवासीय भूखण्ड संख्या 103-ए, श्रीनाथ नगर, आवासीय योजना ग्राम मोडी, ग्राम पंचायत मोडी, तहसील वल्लमनगर, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 13500 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। उक्त भूखण्डों की चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैं:- पूर्व में-रोड 30 फीट चौड़ी, पश्चिम में-अन्य जमीन, उत्तर में-भूखण्ड सं. 63 से 70, दक्षिण में-अन्य जमीन) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर